न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या : 32 / 2024
निर्णय दिनांक : 17.05.2024
GCMS NO : 2024/75

1. सत्यदीप पुत्र श्री हरिशचन्द्र जाति प्रजापत (कुम्हार) निवासी – न.8, PSD-B रावला, जिला गंगानगर, राजस्थान
2. ममता पत्नी श्री नोरतम कुमावत जाति कुमावत, (कुम्हार) निवासी तोदी कॉलेज के पास, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर राज
3. राकेश कुमार पुत्र श्री हरिशचन्द्र जाति प्रजापत, (कुम्हार) निवासी – न.8, PSD-B रावला, जिला गंगानगर, राजस्थान

................प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. प्रार्थीगण अधिवक्ता दशरथ सिह उपस्थित
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा तोलियासर तहसील सुजानगढ़ में खसरा संख्या 243 रकबा 4.1222 हैक्टेयर, खसरा संख्या 374 / 223 रकबा 2.0990 हैक्टेयर, खसरा संख्या 377 / 246 तादादी 2.2761 हैक्टेयर का संयुक्त व अविभाजित खातेदारी का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज स्थित है, जिसमें प्रार्थीगण की स्व. माता कमला पत्नी हरिशचन्द्र का 1 / 6 हिस्सा है जो प्रार्थीगण की माता के कब्जे, अधिकार, उपभोग व उपयोग का है। प्रार्थीगण की माता कमला उर्फ कुनणी का स्वर्गवास दिनांक 20.11.2020 को हुआ था, उपरोक्त भूमि का नामान्तरण प्रार्थीगण व उसके परिवार के विरासत दर्ज हुआ, जिसमें प्रार्थीगण की स्वर्गीय माता को घर में बोलता नाम कुनणी लिख दिया गया जबकि प्रार्थीगण की माता का सही व दस्तावेजी नाम कमला है, जो कि समस्त दस्तावेज यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पेन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र में कमला ही दर्ज है। प्रार्थीगण ने सरकारी मुआवजा लेने हेतु कागजात तैयार

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

करवाये तो उक्त गलत नाम का ज्ञान हुआ जिस पर तहसीलदार महोदय को कई बार निवेदन किया तो उन्होंने संशोधन करने से मना कर दिया। प्रार्थीगण को सरकारी लाभार्थ हेतु उक्त नाम संशोधन करवाने की आवश्यकता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में प्रार्थीगण की माता का नाम कुनणी पुत्री चिमनाराम दर्ज है। जबकि प्रार्थीगण के दस्तावेजों में नाम कमला दर्ज है। कमला एवं कुनणी दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः प्रार्थीगण की माता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में कमला पुत्री चिमनाराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज यथा आधारकार्ड, मृत्यु प्रमाण–पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र तथा कार्यालय ग्राम पंचायत मालासी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार भी प्रार्थीगण की माता का सही व वास्तविक नाम कमला पुत्री चिमनाराम ही है। राजस्व रिकॉर्ड में नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण को विभिन्न परेशानियों का सामना करना प्रतीत होता है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात तथा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मालासी, पंचायत समिति सुजानगढ़ के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 243 रकबा 4.1222 हैक्टेयर, खसरा संख्या 374 / 223 रकबा 2.0990 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 377 / 246 रकबा 2.2761 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम तोलियासर में दर्ज कुनणी पुत्री चिमनाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी तोलियासर खातेदार के स्थान पर कमला पुत्री चिमनाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी तोलियासर खातेदार दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। निर्णय की प्रति अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़